

प्रेस नोट – कोत0 कायमगंज/क्राइम ब्रान्च

दिनांक – 14.04.2026

कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार करके, धोखाधड़ी करके फर्जी/बोगस फर्म बनाकर जीएसटी कर अपवंचन करने वाले 01

अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस टीम द्वारा कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 072/2026 धारा 318(4),319(2),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस से संबन्धित खुसनूद पुत्र शमसुद्दीन को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01. खुसनूद पुत्र शमसुद्दीन निवासी नई बस्ती थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-** कूटरचित दस्तावेज तैयार कर, धोखाधडी कर फर्जी/बोगस फर्म बनाकर जीएसटी कर अपवंचन करने के बाबत कोतवाली कायमगंज पर वादी उ0नि0 श्री सोमवीर सिंह द्वारा मु0अ0सं0 072/2026 धारा 318(4),319(2),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में मु0अ0सं0 उपरोक्त से संबन्धित खुसनूद पुत्र शमसुद्दीन उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ॥

**पूछताछ का विवरण –** अभियुक्त खुसनूद ने उपरोक्त ने अपनी गलती की माफी मांगते हुये शेष सफाई जरिये अधिवक्त मा0न्यायालय में देना बताया ।

**अभियुक्त खुसनूद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –**

01. मु0अ0सं0 72/2026 धारा 318(4),319(2),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ ।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

01. प्र0नि0 श्री राम अवतार (क्राइम ब्रांच फतेहगढ़)
02. हे0का0 सचेन्द्र ( सर्विलांस सेल)

**मीडिया सेल फतेहगढ़।**

प्रेस नोट – कोतवाली कायमगंज

दिनांक – 14.04.2026

कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में नामजद/वाँछित दो अभियुक्त व एक अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद फतेहगढ़ की कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-97/2026 धारा-191(2)/191(3)/190/333/131/115(2)/352/351(3)/118(1)/109/103(1) बीएनएस में नामजद वाँछित 1-करन पुत्र राजवीर 2- पुष्पेन्द्र पुत्र राजवीर 3- पूनम पत्नी शनि निवासीगण ग्राम उलियापुर कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1-करन पुत्र राजवीर निवासी ग्राम उलियापुर कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।
- 2- पुष्पेन्द्र पुत्र राजवीर निवासी ग्राम उलियापुर कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।
- 3- पूनम W/O शनि निवासी ग्राम उलियापुर कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-** वादी मुकदमा श्री विपिन कुमार पुत्र इन्दल निवासी उलियापुर थाना कायमगंज जिला फर्रुखाबाद द्वारा दिये गये प्रा0पत्र बाबत अभियुक्तगण द्वारा एक एक राय होकर व हमलावर होकर घर के अन्दर घुस आना, जान से मारने की धमकी देना और प्रार्थी के भाई राजकुमार , बांकेलाल के ऊपर लाठी डंडों से हमलावर हो जाना गाली गलौज करते हुये प्राणघातक हमला करना, जिससे प्रार्थी के भाई बांकेलाल उम्र करीब 34 वर्ष की मृत्यु हो जाना तथा राजकुमार का इलाज सीएचसी कायमगंज में इलाजरत होने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 97/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/333/131/115(2)/352/351(3)/118(1)/109/103(1) बीएनएस बनाम 1- करन आदि 13 नफर पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद/वाँछित 1-करन, 2- पुष्पेन्द्र, 3-पूनम उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण –** अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि साहब हमारे परिवार और बांकेलाल के परिवार में काफी समय से रंजिश चली आ रही है। वर्ष 2025 में हमारी भैंस जलाकर मार दी थी तो मेरे हमारे वालों ने फर्रुखाबाद न्यायालय से बांकेलाल के परिवार वालों पर परिवाद दर्ज करा दिया था जिसमें बांकेलाल पक्ष के कई लोग जेल में है तथा मुकदमेंबाजी भी चल रही है। बांकेलाल के परिवार वालों ने मेरे परिवार के लोगों पर भैंसा चोरी करने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर गोदाम पर वाद विवाद हो गया था इसके पश्चात हम लोगों में लाठी-डण्डा चलने लगे जिसमें दोनों पक्ष के लोगों को चोटें आयी थी तथा बाद में बांकेलाल की लोहिया अस्पताल जाते समय मृत्यु हो गयी थी। साहब हमसे गलती हो गयी माफ कर दो। शेष सफाई जरिए अधिवक्ता माननीय न्यायालय में देना बताया।

**अभियुक्त करन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –**

1-मु0अ0सं0 97/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/333/131/115(2)/352/351(3)/118(1)/109/103(1) बीएनएस कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

**अभियुक्त पुष्पेन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –**

1-मु0अ0सं0 420/18 धारा 147/148/323/325/504/506 भादवि0 कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़

2-मु0अ0सं0 97/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/333/131/115(2)/352/351(3)/118(1)/109/103(1) कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़

**अभियुक्ता पूनम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –**

1-मु0अ0सं0 97/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/333/131/115(2)/352/351(3)/118(1)/109/103(1) बीएनएस कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़

## बरामदगी का विवरण:-

घटना में प्रयुक्त तीन लकड़ी के डण्डा ( आला कत्ल )

## गिरफ्तारी/बरामदी करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम-

01. प्र०नि० श्री मदन मोहन चतुर्वेदी
02. हे०का० रत्नेश
03. का० मनोज कुमार
04. का० आर्य चौधरी
05. म०का० हेमा

मीडिया सेल फतेहगढ़।



## फतेहगढ़ पुलिस

दिनांक 14.04.2026



### थाना राजेपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना राजेपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 55/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम बाबू सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी ग्राम बदनपुर थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यावाही की जा रही है।



#### बरामदगी का विवरण :-

01. एक अवैध तमंचा 315 बोर
02. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

#### अभियुक्त बाबू सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- (1) मु0अ0स0 68/16 धारा 323/504/506 भादवि
- (2) मु0अ0स0 76/16 धारा 21/22 एनडीपीएस
- (3) मु0अ0स0 77/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट
- (4) मु0अ0स0 32/20 धारा 332/336/352/353/504/506 भादवि
- (5) मु0अ0स0 33/20 धारा 323/504/506 भादवि
- (6) मु0अ0स0 266/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
- (7) मु0अ0स0 55/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

मीडिया सेल फतेहगढ़



# फतेहगढ़ पुलिस

दिनांक 14.04.2026



## कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में कोतवाली कायमगंज पर वादी की तहरीर के आधार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 95/26 धारा 137(2)/87 बीएनएस में वादी की नाबालिग पुत्री की सकुशल बरामदगी करते हुए, बयान पीडिता, बयान वादी, निरीक्षण घटनास्थल एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में वांछित अभियुक्त शहबाज पुत्र अंसार खान निवासी शिवरई मठ कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### अभियुक्त विशाल राजपूत उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 95/26 धारा 137(2)/87 कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

### गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

01. प्र0नि0 श्री मदन मोहन चतुर्वेदी
02. निरीक्षक सुरजीत सिंह
03. का0 अंकित पवार
04. का0 मोहित कुमा
05. म0का0 भारती

मीडिया सेल फतेहगढ़।